POSTAL REG. NO. JAIPURCITY/410/2015-17 (RNI. REG. NO. 39658/1983) # ग्रा.ग./2016/अंक 09

मासिक प्रेषण दि. 8 सितम्बर, सी.एस.ओ., आरएमएस गाँधी नगर, जयपुर-15

ग्राम गदर

वर्ष 1983 से प्रकाशित

8 सितम्बर, 2016 मूल्य 50 पैसे

आपके नाम चिट्ठी

जयपुर से जोग लिखी प्रदीप महता का सबको राम-राम/सलाम! पिछले दिनों अच्छी खबर पढ़ने को मिली। प्रधानमंत्री कार्यालय सांसदों द्वारा गोद लिए गांवों की जमीनी हकीकत जानना चाहता है। इसके लिए केन्द्रीय टीम गोद लिए गांवों का दौरा करेगी। वह गोद लिए गए गांवों में सांसदों द्वारा किए गए हर काम की रिपोर्ट देगी। इससे सांसदों की असलियत सामने आएगी।

राजस्थान में भी केन्द्र की इसी तर्ज पर आदर्श ग्राम योजना संचालित है। जिसके तहत राज्य के हर विधायक को एक गांव आदर्श गांव के रूप में विकसित करने का काम सौंपा गया है। लेकिन देखा गया कि ज्यादातर सांसदों और न ही विधायकों ने गांवों में जाकर काम करने में कोई खास रुचि ली। नतीजतन, ग्रामीण विकास की एक अच्छी योजना को पंख नहीं लग पाए। भले ही मुख्यमंत्री योजना की वास्तविकता का परीक्षण कर कर जान लें।

यह ही क्यों? सुशासन व जवाबदेही के मद्देनजर अगर इसी तर्ज पर सरकारें अपनी अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं को खंगाले तो सांसदों, विधायकों व अन्य जनप्रतिनिधियों के ही नहीं बल्कि सरकारी आलाअफसरों व कर्मचारियों के कई कारनामें सामने आ सकते हैं।

उदाहरण के लिए विधायकों, सरपंचों व अन्य जनप्रतिनिधियों के दबाव में राज्य की ग्राम पंचायतों में मनरेगा के तहत सोशल ऑडिट प्रक्रिया सिर्फ खानापूर्ति बनकर रह गई है, जिससे भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। मीडिया ही नहीं बल्कि ग्रामीणों को भी इस तरह की जानकारियां सामने लाना होगा।

उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए उठाए कई कदम

उपभोक्ताओं को सशक्त और जागरूक करने के लिए सरकार 'जागो ग्राहक जागो' अभियान समेत कई कदम उठा रही है। उपभोक्ता संरक्षण के प्रावधानों को और सख्त बनाने के लिहाज से एक विधेयक संसद में पेश किया जा चुका है।

केन्द्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने लोकसभा में यह जानकारी देते हुए कहा कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 काफी पुराना हो गया है। नए विधेयक में दूध सहित अन्य खाद्य पदार्थों में मिलावट के मामलों से निपटने के लिए सख्त प्रावधान किए गए हैं।

पासवान ने बताया कि सरकार राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन को मजबूत करने के साथ-साथ क्षेत्रीय हेल्पलाइन भी शुरू कर रही है। स्कूल, कॉलेज और सामुदायिक स्तर पर उपभोक्ता क्लब बनाए जाएंगे। पाठ्यक्रमों में भी इस विषय को शामिल करने का विचार है। उपभोक्ता अदालतों के फैसलों को अधिक से अधिक प्रचारित-प्रसारित किया जाए इसके लिए प्रयास किए गए हैं। उन्होंने कहा कि उपभोक्ता संरक्षण के लिए कई विभाग काम करते हैं और उनके अलग-अलग कानून हैं। इनमें आपसी समन्वय की दिशा में भी सरकार काम कर रही है।

उपभोक्ता मामलों के राज्यमंत्री सी.आर.चौधरी ने बताया कि देश में खाद्य सुरक्षा कानून लागू होने के बाद सभी 36 राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों में राशन कार्डों के डिजिटलीकरण की प्रक्रिया शुरू की गई है जिससे 81 करोड़ लोग लाभान्वित हुए हैं।

दुर्लभजी अस्पताल पर 10 लाख रुपए का हर्जाना

जिला उपभोक्ता मंच जयपुर (तृतीय) ने इलाज में लापरवाही बरतने से महिला की मौत होने पर जयपुर स्थित संतोकबा दुर्लभजी अस्पताल और डॉ. प्रीति शर्मा पर 10 लाख रुपए का हर्जाना लगाया है।

मामले के अनुसार राजेन्द्र कुमार अग्रवाल ने उपभोक्ता मंच में दुर्लभजी अस्पताल के खिलाफ परिवाद पेश कर मंच को बताया कि उन्होंने अपनी पत्नी आशा के बच्चेदानी में तकलीफ होने पर उसे 22 जून 2005 को दुर्लभजी अस्पतान में भर्ती कराया था। 24 जून को उसका ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन में लापरवाही बरतते हुए उसकी बड़ी आंत काट दी, जिसके चलते अपशिष्ट पदार्थ शरीर में फैल गए और उसकी तबियत बिगड़ गई। डॉ. प्रीति शर्मा ने अपनी इस गलती को छिपाने के लिए 25 जून को उनकी पत्नी का वापस ऑपरेशन किया। लेकिन उसमें भी लापरवाही बरती गई जिससे आशा की मौत हो गई।

मामले की सुनवाई के बाद मंच ने अस्पताल प्रशासन और चिकित्सक को गंभीर लापरवाही का दोषी माना और कहा कि पत्नी की मौत के कारण बच्चे अपनी मां के स्नेह से वंचित हुए हैं और एक पति ने अपनी पत्नी खोई है। मंच ने अस्पताल व डॉ. प्रीति शर्मा पर 10 लाख रुपए का हर्जाना लगाया है। साथ ही परिवाद पेश करने की तारीख से 12 फीसदी ब्याज सहित एक महीने में अदा करने और परिवाद खर्च के 20 हजार रुपए अलग से देने के आदेश दिए हैं।

जैविक खेती के बारे में किसानों ने ली जानकारी

किसानों को फिर से जैविक खेती को अपनाना होगा। रासायनिक कीटनाशकों के प्रभाव से फसलों को बचाना आवश्यक है। रासायनिक खेती से हमारे शरीर में खाद्य पदार्थों के साथ जहर पहुंच रहा है। इससे लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर हो रहा है।

रामकृष्ण शिक्षण संस्था, कोटा द्वारा आयोजित कार्यशाला में कोटा कृषि विश्वविद्यालय के निदेशक (प्रसार) आई.एन.गुप्ता ने किसान प्रतिनिधियों को रासायनिक खाद व कीटनाशकों के इस्तेमाल से बचने की सलाह देते हुए उक्त विचार व्यक्त किए।

कार्यशाला का आयोजन 'कट्स' इंटरनेशनल एवं स्वीडन की संस्था 'एसएसएनसी' के सहयोग से प्रो-ऑर्गेनिक परियोजना के तहत किया गया। कार्यशाला में पर्यावरणविद् डॉ.एल.के. दाधीच ने रासायनिक खेती से जमीन पर पड़ रहे दुष्प्रभावों की जानकारी दी। कृषि विश्वविद्यालय के डॉ. मुकेश गोयल ने जैविक खाद के बारे में किसानों को विस्तार से बताया। 'कट्स' के अधिकारी धर्मेन्द्र चतुर्वेदी ने परियोजना की जानकारी दी व राजदीप पारीक ने केंचुआ खाद बनाने की तकनीक बताई। कार्यक्रम का संचालन रामकृष्ण शिक्षण संस्था के सचिव युधिष्ठर चानसी ने किया।

गौमूत्र बना व्यवसायिक उत्पादन

देश में गौमूत्र की मांग में लगातार तेजी आ रही है। अब यह करोड़ों रुपए का व्यावसायिक उत्पाद बनता जा रहा है। मोदी सरकार ने दुधारू पशुओं के संरक्षण और गौमूत्र समेत उनसे मिलने वाली वस्तुओं पर आधारित उद्योगों की मदद के लिए व्यापक कार्यक्रम तैयार किया है।

इन कार्यक्रमों से भी गौमूत्र को व्यावसायिक महत्व दिया जा रहा है। रामदेव गौमूत्र के सबसे बड़े खरीदारों में शामिल है। देश में कई स्थानों पर गौमूत्र थैरेपी हेल्थ क्लीनिक खुल रहे हैं। इन क्लीनिकों में हजारों मरीजों की चिकित्सा हो रही है। इसके अलावा गौमूत्र का उपयोग जैविक खेती के लिए कीटनाशक तैयार करने में भी किया जाने लगा है।

आटा मिल में मिला गरीबों का गेहूं

चित्तौड़गढ़ जिले में भारतीय खाद्य निगम से राशन डीलरों को वितरित होने वाला अस्सी टन गेहूं, आटा मिल व एक गोदाम से जब्त किया गया। स्थानीय पुलिस ने गरीबों को बांटे जाने वाले गेहूं की कालाबाजारी की शिकायतें मिलने पर मनीष एंटरप्राईजेज के गोदाम और गोपाल ट्रेडर्स नामक आटा मिल पर छापा मारा।

पुलिस द्वारा मनीष एंटरप्राईजेज से गेहूं से भरे करीब 1000 कट्टे व गोपाल ट्रेडर्स से 300 कट्टे जब्त किए गए। बताया जा रहा है कि लंबे समय से राशन के गेहूं की कालाबाजारी की सूचनाएं मिल रही थीं। बिना किसी मिलीभगत के यह नहीं हो सकता। मामले की जांच जारी है।

नजर कमजोर तो मुफ्त मिलेगा चश्मा

अगर आपकी उम्र 45 साल या इससे अधिक है और पास की नजर कमजोर है तो चिंता की जरूरत नहीं। राज्य सरकार आपको मुफ्त में चश्मा उपलब्ध कराएगी। सरकार ने इसकी योजना बना ली है। इस प्रकार चश्मा उपलब्ध कराने वाला देश का पहला राज्य राजस्थान होगा। करीबन 30 हजार चश्में बांटने की योजना है। इसमें बीपीएल को प्राथमिकता दी जाएगी।

उल्लेखनीय है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय अंधता निवारण कार्यक्रम के तहत प्रेसबायोपिक अर्थात पास की नजर कमजोर होने की बीमारी के पीड़ितों को नि:शुल्क चश्में देने की योजना है।

भामाशाह पशु बीमा योजना शुरू

पशुपालकों को आर्थिक संबल प्रदान करने के मकसद से राज्य में भामाशाह पशु बीमा योजना शुरू की गई है। कृषि एवं पशुपालन मंत्री प्रभुलाल सैनी ने यह जानकारी देते हुए बताया कि यह योजना राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड की ओर से इण्डिया इंश्योरेंस कंपनी के माध्यम से संचालित की जाएगी।

इसमें भामाशाह कार्ड धारक पशुपालकों के पशुओं का अनुदानित प्रीमियम दरों पर बीमा कराया जाएगा। बीपीएल श्रेणी के पशुपालकों को प्रीमियम राशि का 30 फीसदी व सामान्य श्रेणी के पशुपालकों को 50 फीसदी राशि जमा करानी होगी। प्रीमियम की शेष राशि सरकार की ओर से वहन की जाएगी।

प्रदेश में दोगुनी हो गई जैविक खेती

प्रदेश के लिए यह एक अच्छी खबर है कि बड़ी तादाद में हमारे किसानों ने फसलों में रासायनिक खाद और केमिकल का उपयोग करना बन्द कर दिया है। प्रदेश में जैविक खेती बहुत तेजी से बढ़ रही है।

यहां वर्ष 2015-16 में एक लाख 55 हजार हैक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती की गई। इसमें 58 हजार 534 मैट्रिक टन जैविक उत्पादन हासिल किया गया। पिछले तीन सालों की तुलना में जैविक खेती दोगुनी हो गई है। देश में जैविक खेती करने के मामले में हम चौथे स्थान पर पहुंच गए हैं। सेहत के मामलों में खरा उतरने की वजह से किसानों को अपनी फसल के दाम अच्छे मिल रहे हैं।

प्रदेश में शुरू होगी वृक्षकुंज योजना

मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के द्वितीय चरण से प्रदेश में वृक्षकुंज योजना की शुरुआत की जाएगी। द्वितीय चरण की शुरुआत 16 नवंबर से होगी। इसमें करीब एक करोड़ पौधे लगाए जाएंगे।

योजना में 100 पौधे लगा कर उनकी देखभाल करने वाले को नरेगा के तहत सरकार 3800 रुपए का भुगतान करेगी।

योजना को मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के अलावा ग्रामीण विकास और वन विभाग मिल कर चलाएंगे। वृक्षकुंज योजना में पैसा तभी मिलेगा, जब चरागाह, गोचर या अन्य सार्वजनिक जमीन पर कम से कम 100 पेड़ लगाकर उनकी देखभाल की जाएगी।

किसानों पर कर्जे का बोझ

ग्राम गदर में किसानों की माली हालत के बारे में जाना। हमने हाल ही आजादी की 70वीं सालगिरह मनाई। लाल किले से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने किसानों की हालत सुधारने के लिए कई योजनाओं का जिक्र किया। किसानों की आय बढ़ाने की बात भी कही है।

आजादी के बाद से यह क्रम हर साल चलता रहा है। लेकिन गरीब किसानों की हालत नहीं सुधरी। हाल ही लोकसभा में एक सर्वेक्षण के हवाले से बताया गया कि राजस्थान के गरीब किसान सात हजार रुपए मासिक में परिवार का गुजर-बसर करते हैं और उनके सिर पर औसतन 70 हजार रुपए तक का कर्ज है।

यह एक कड़वा सत्य है। देखना यह है कि क्या अबकी बार बनी योजनाओं से किसान ऋणमुक्त हो सकेगा?

- किशनलाल सैनी, सीकर

करोड़ों का ट्रैक्टर ऋण घोटाला

उदयपुर के भूमि विकास बैंक में करोड़ों रुपए के ट्रैक्टर ऋण में बड़ा घोटाला उजागर हुआ है। राज्य सरकार ने बैंक के वित्तीय वर्ष 2009-10 से 2014-15 तक के कार्यकाल की विस्तृत जांच कराई तो भारी घोटाला सामने आया। सरकार ने इसमें कई नेताओं, आला अफसरों व कर्मचारियों को दोषी पाया है।

इन्होंने आदिवासी इलाके के कोटड़ा और लसाड़िया में फर्जीवाड़ा कर किसानों को ट्रैक्टर दिलवा दिए और लोन पास करवा दिए। सरकार ने उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करवाने और सारे पैसों की वसूली के सख्त आदेश जारी किए हैं। अब बैंक को हर हाल में कार्रवाई करनी होगी।

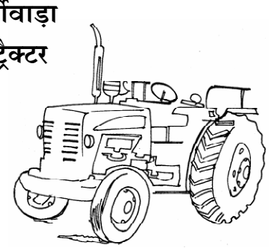

बंद नहीं होगी मनरेगा योजना

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री रामकृपाल यादव ने राज्यसभा में एक पूरक प्रश्न का जवाब देते हुए कहा है कि मनरेगा योजना को बन्द नहीं किया जाएगा। सरकार इस योजना के लिए अधिक से अधिक राशि देगी जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का खास निर्देश है।

योजना में भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण 'डीबीटी' के जरिए पैसा सीधा मजदूरों के खातों में भेजा जा रहा है। सरकार ने 'लूट की छूट' पर शिकंजा कस दिया है और भ्रष्टाचार बंद होने से राशि बच रही है। इस वित्त वर्ष में 38 हजार 500 करोड़ रुपए का बजट मनरेगा के लिए आवंटित किया गया है।

ग्राहक सुविधा केन्द्र

भारत सरकार के खाद्य एवं उपभोक्ता मामले मंत्रालय के सौजन्य से 'कट्स' इन्टरनेशनल द्वारा ग्राहक सुविधा केन्द्र की स्थापना की गई है।

ग्राहक सुविधा केन्द्र

आप उपभोक्ता सम्बन्धित किसी भी तरह की जानकारी अथवा शिकायत के लिए निम्न पते पर सम्पर्क कर सकते हैं।

ग्राहक सुविधा केन्द्र
कंज्यूमर यूनिटी एण्ड ट्रस्ट सोसायटी (कट्स)
डी-218 ए, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016
ई-मेल: gsk@cuts.org फोन +091.141.4015395

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक स्वत्वाधिकारी प्रदीप एस महता के लिए भालोटिया प्रिन्टर्स, जयपुर से प्रकाशित।

'अक्षत टावर', डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016 फोनः 228 2821 से 23 फैक्सः 0141-228 2485

कम्पोजिंग एवं लेआउट राजकुमार त्रिवेदी, 'कट्स' जयपुर